



UPMH010029522026

न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-02, महाराजगंज

पीठासीन अधिकारी-ज्ञानेन्द्र राव, (एच0जे0एस0)-UP 6492

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-880 / 2026

अराधना कुमारी पत्नी कुलदीप प्रकाश उम्र करीब 34 वर्ष।

निवासी 215 नरेन्द्र नगर, थाना कोतवाली, जनपद उन्नाव। हाल मुकाम-6/36
दीनदयालपुरम तकरोही, थाना इन्द्रानगर, जिला लखनऊ।

.....आवेदिका / अभियुक्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

.....विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या-158 / 2026

धारा-318(4),338,336(3),340(2),352,351(3),61(2)ए,61(2)बी,127(2) भारतीय न्याय संहिता
थाना निचलौल, जनपद महाराजगंज।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 3क

28.07.2026

01- प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र आवेदिका/अभियुक्ता अराधना कुमारी द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-158 / 2026 धारा-318(4),338,336(3),340(2),352,351(3),61(2)ए,61(2)बी, 127(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना निचलौल, जनपद महाराजगंज में जमानत हेतु संस्थित किया गया है। अभियुक्ता जिला कारागार में निरुद्ध है।

02-अभियोजन पक्ष का केस है कि वादिनी मुकदमा रीना चौधरी की ओर से थाना निचलौल में इस आशय की तहरीर दी गई कि वह ग्राम पिपराकाजी, थाना निचलौल, जिला महाराजगंज का निवासिनी है। उसके पिता सत्यनरायन भगवान का कथा सुनने का आयोजन एवं प्रीतिभोज दिनांक 21.10.2025 को रखा था, जिसमें अगल-बगल के कुछ मेहमान एवं रिश्तेदार आये हुए थे, उसके बहनोई विनोद चौधरी भी आये हुए थे उसके बहनोई से उसके घर आये हुए मेहमान मुकेश चौधरी पुत्र खुशिहाल चौधरी, साकिन पकड़ी अहवा, थाना निचलौल, जिला महाराजगंज मो0नम्बर 9721766883 जिनकी बहन की शादी उसके घर के बगल में हुयी है से नौकरी दिलाने के सम्बन्ध में बात-चीत हो रही थी, उसके पिता एवं उसके यहाँ आये हुए मेहमान निर्भय मद्देशिया, दिलीप सभी लोग मुकेश की बातों को ध्यान से सुनने लगे, मुकेश चौधरी बता रहें थे कि अगर आप लोग बेरोजगार बैठे हैं तो कुछ पैसे खर्च करे आपको अच्छी सरकारी नौकरी अपने मित्र के माध्यम से दिला दूंगा। मुकेश ने अपने मित्र राजचन्द्रा उर्फ अजीत पुत्र संतराज, साकिन बड़हलगंज कोइली खाल, थाना-बड़हलगंज मो0 नम्बर 9795305903, 9335522362 जिला-गोरखपुर, अराधना कुमारी पत्नी कुलदीप, कुलदीप पुत्र विजय प्रकाश, साकिन 215, नरेन्द्रनगर, उन्नाव, थाना कोतवाली, जिला उन्नाव

मोबाईल नम्बर 7985179080 एवं वर्तमान पता—मोहनलाल, 6/36 दीन दयालपुरम, तकरोही, इन्दिरानगर, लखनऊ, मोबाईल नम्बर 7752826153, आमोद राठौर पुत्र अज्ञात, साकिन सीतापुर रोड़ जानकीपुरम लखनऊ, पिनकोड़ 226031 मोबाईल नम्बर 9455932532 से वीडियो कालिंग के माध्यम से वहाँ उपस्थित सभी लोगों के समक्ष उन लोगों को झांसे में लेने के लिए बड़ी ही चतुराई से बात किया, मुकेश और मुकेश के मित्रगण कहें कि आप लोग पैसा खर्च करें तो जल्द ही सरकारी नौकरी ट्रेनिंग करा कर दिला दूंगा, वहाँ पर उपस्थित सभी लोग मुकेश के छलावें में आ गये और मुकेश को उसके पापा राजचन्द्रा एवं उनके सहयोगियों के झांसे में 02 लाख रुपया दे दिया, मुकेश ने उसके पापा से कहा कि आप अपने दामाद और बेटी के साथ लखनऊ रीना को भेज दीजिएगा, दिनांक 18.11.2025 समय करीब 03.00 बजे सुबह में निचलौल से वाहन संख्या—यूपी 56बीए 5632 से मुकेश वह एवं उसके बहनोई विनोद को लेकर लखनऊ गया और वहाँ एक श्रीरामकृष्ण गेस्ट हाउस, हजरतगंज लखनऊ में रुके और अपने सहयोगी मित्रगण राजचन्द्रा, अराधना, कुलदीप एवं आमोद राठौर के आफिस पर ले गये, जहाँ पर उसका एवं उसके बहनोई विनोद का फर्जी परीक्षा और इण्टरव्यू लिया उक्त लोग खुद ही इण्टरव्यू लिये और खुद ही पास कर दिये, उसे तथा मेरे बहनोई विनोद को आफर लेटर एकनालेजमेन्ट एवं आईडी कार्ड दिया और उससे मुकेश तथा मुकेश के उपरोक्त मित्रगण ने नकद 02 लाख रुपये ले लिए और शेष रुपये के व्यवस्था के साथ झूठे ट्रेनिंग के लिए पुनः बुलाया, दिनांक 08.12.2025 को आमोद राठौर के सी.एस.सी. बिल्डिंग पूराना हाईकोर्ट कैसरबाग, लखनऊ के कार्यालय पर बुलाया गया जहाँ पर आमोद राठौर, अराधना, कुलदीप एवं राजचन्द्रा उसको कम्प्यूटर आपरेटर की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिये और कहें कि आपको जल्द ही सर्टिफिकेट मिल जायेगा और आप को हम लोग सरकारी नौकरी दिला देंगे और राजचन्द्रा एवं उनके सहयोगी उसको एक किराये के मकान में रख दिये जहाँ पर उसके साथ अराधना व बबिता एवं कुलदीप को रख दिया, राजचन्द्रा ने एवं आमोद राठौर ने अराधना को रखा था, अराधना को जब भी पैसे की आवश्यकता होती थी तो राजचन्द्रा से कहकर अपने आफिस खर्च एवं पर्सनल खर्च के लिए उसके मोबाइल पर पैसा मंगाती थी और कभी उसके साथ जाकर एवं कभी उसे अकेले भेजकर पैसा निकलवा कर ले लेती थी, दिनांक 18.02.2026 को अराधना का शादी का मैरिज एनवर्सरी था और उस दिन राजचन्द्रा, कुलदीप के बुलाने पर आया था, काफी रात होने पर राजचन्द्रा वहीं पर रुक गया, उसकी ट्रेनिंग 26 फरवरी, 2026 को समाप्त कराते हुए झूठा बनावटी एवं कूटरचित प्रमाण पत्र जारी कर दिया और कहा कि हमलोग जल्द ही आप के होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर पोस्टिंग करा देंगे, आप को कहीं भी एक रुपये नहीं देना है और कहे कि पोस्टिंग तक हमारे पास ही रहिये तथा उसको लालच देते हुए डिप्टी डायरेक्टर पद पर रखे और कहें कि तुम्हारा ट्रांसफर हम लोग सीधे महाराजगंज करा देंगे, उससे बाकी रुपया मुव0 50 हजार भी इसी बीच तगादा करके आनलाईन अपने फोन पे नम्बर—8858532832 से मोबाईल नम्बर 9795305903 जो राजचन्द्रा का था जिसका बैंकिंग नेम बालकृष्ण यादव दर्शित कर रहा था, दिनांक 15.03.2026 को करा लिया, वह बार—बार राजचन्द्रा एवं उनके सहयोगियों से आग्रह करती रही कि आप लोगों ने जितना पैसा मांगा और जो—जो कहें उसने वैसे किया लेकिन आज तक आप लोग लोग उसे नौकरी नहीं दिलायें इस पर उक्त लोग उग्र हो गये और उसे माँ—बहन की गन्दी गन्दी गाली—गुप्ता देते हुए उसे बंधक बना लिये और कहें कि ज्यादा बोलने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार कर फेंक देंगे. उन लोगों का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पायेंगा, वह किसी तरह समय पाकर उपरोक्त लोगों की चंगुल से निकल कर अपनी जान बचाकर वहीं से भाग कर अपने घर आयी

और अपने माँ-पिता जी से सारी बातें बतायी, अराधना जिसे उसके साथ एक साजिश के तहत रखा गया था वह उसे बार-बार धमकी दे रही है कि मैं बिना तुम्हारी जानकारी के कई नहाने एवं कपड़ा चेंज करने का फोटो बना लिया है अगर कहीं कोई प्रार्थना पत्र उन लोगों के खिलाफ किया तो अभी तो नार्मल फोटो का स्टेटस लगा रहे है लेकिन नहीं मानी तो तुम्हारे जो फोटो मैंने खींच रखे है उसे सोशल मीडिया पर डाल कर तुम्हें बदनाम कर देंगे, वह स्थानीय थाने में मुकेश एवं उनके सहयोगियों के विरुद्ध लिखित प्रार्थना पत्र दिया, थाना निचलौल की पुलिस अभी तक दौड़ाती रही, उसको इधर कई दिनों से टेक्स्ट एवं वायस मैसेज एवं फोटो डालकर जान से मारने की धमकी उपरोक्त लोगों द्वारा दी जा रही है। उसने दिनांक 23.05.2026 को आईजीआरएस सूचना दी लेकिन मुल्जिमानों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई और उपरोक्त मुल्जिमान द्वारा उसके नम्बर पर जरिए टेक्स्ट मैसेज एवं वायस मैसेज तथा स्टेटस के माध्यम जान से मारने एवं बदनाम करने की धमकी दी जा रही है, जिससे वह काफी डरी व सहमी हुई है।

03—आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वह बिल्कुल निर्दोष महिला है, उसने कोई जुर्म कारित नहीं किया है। उसे मुकदमा उपरोक्त में वादी मुकदमा ने गलत फर्जी व मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर झूठा फंसाया है। तथाकथित घटना का प्राथमिकी काफी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, विलम्ब का कारण दर्शित नहीं है। तथाकथित घटना कपोल कल्पित व बनावटी है। तथाकथित घटना में आवेदिका/अभियुक्ता को हैरान व परेशान करने की गरज से जान बूझकर फंसाया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता ने वादी मुकदमा को कोई टेक्स्ट मैसेज करके गाली गुप्ता या जान से मारने की धमकी नहीं दिया है और न ही आवेदिका/अभियुक्ता ने वादी मुकदमा के साथ कोई छल-कपट, धोखाधड़ी या कूटरचना ही किया है। सही वाक्यात यह है कि रीना चौधरी वादी मुकदमा की महिला मित्र है तथा आवेदिका/अभियुक्ता का रीना चौधरी से जान पहचान होने तथा रीना चौधरी के कहने पर वादी मुकदमा ने आवेदिका/अभियुक्ता के मोबाइल पर 40,000/—रुपये भेजा था जो आवेदिका/अभियुक्ता ने रीना चौधरी के कहने पर राजचन्द्रा के मोबाइल पर 10,000/—रुपये भेज दिया तथा शेष रकम मुव0—30,000/—रुपये रीना चौधरी ने आवेदिका/अभियुक्ता से नकद ले लिया जिससे स्पष्ट है कि उक्त तथाकथित धाराये आवेदिका/अभियुक्ता के उपर आयत नहीं होती है। आवेदिका/अभियुक्ता ने किसी को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर किसी प्रकार के रुपये का लेन-देन नहीं किया है। आवेदिका/अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है तथा आवेदिका/अभियुक्ता कायदे कानून को मानने वाली महिला है। अभियोजन कथानक मे घटना स्थल मदनपुरा पेट्रोल पम्प बताया गया है, जबकि उक्त मुकदमें के विवेचक द्वारा उक्त तथाकथित घटना का सी.सी.टी.वी. फुटेज का कही जिक्र नहीं किया है, जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन कथानक प्रथम दृष्टया फर्जी व मनगढ़न्त तथ्यों पर आधारित है। आवेदिका/अभियुक्ता का एक नवजात शिशु उम्र करीब 04 वर्ष है जो विगत कुछ दिनों से बीमार चल रहा है तथा आवेदिका/अभियुक्ता स्वयं भी अक्सर बीमार रहती है। आवेदिका/अभियुक्ता के जेल में निरुद्ध रहने से आवेदिका/अभियुक्ता व आवेदिका/अभियुक्ता के पुत्र का दवा इलाज के अभाव कोई अप्रिय घटना घट सकती है। निवेदन किया गया है कि उसे जमानत पर रिहा किया जाय।

04—अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये यह तर्क दिया गया है कि

आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा वादी मुकदमा व अन्य लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लिया और उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र देकर उनका फर्जी प्रशिक्षण कराया गया और पैसा वापस मांगने पर गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दिया गया। अभियुक्ता के द्वारा घोर अपराध किया गया है तथा जमानत से रिहा होने पर अभियुक्ता द्वारा उसी अपराध में संलिप्तता पाए जाने की संभावना है। अतः आवेदिका/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

05—मेरे द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा थाने की आख्या एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

06—उभयपक्ष के तर्कों को सुनने के पश्चात केस डायरी के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा एक गिरोह बनाकर कर वादिनी मुकदमा व अन्य लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर एकनालेजमेन्ट, आई.डी. कार्ड, ऑफर लेटर, कूटरचित करके जारी किया गया है। वादिनी मुकदमा व उसके अन्य साथियों द्वारा जो पैसा उन्हें दिया गया है उसकी स्क्रीन शॉट रसीद भी दाखिल किया गया है। साथ ही साथ बैंक स्टेटमेन्ट की छायाप्रति दाखिल किया गया है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी मुकदमा द्वारा अपने खाते में पैसे का भुगतान किया गया है। वादिनी मुकदमा व उसके अन्य साथियों के साथ अभियुक्त तथा सह अभियुक्तगण के फोटोग्राफ पत्रावली पर मौजूद है साथ ही साथ उनके द्वारा कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन एण्ड राईट काउंसिल द्वारा जारी फर्जी प्रमाण पत्र पर उनके हस्ताक्षर मौजूद है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से वादिनी मुकदमा व उसके अन्य साथियों के साथ पैसा लेकर कूटरचना करके उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र, आई.डी. कार्ड, प्रमाण पत्र व एकनालेजमेन्ट देकर उनके साथ छल कपट किया गया है और पैसा वापस मांगने पर गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दी गई है। अभियुक्त द्वारा अपने अन्य सह अभियुक्तों से मिलकर बेरोजगार युवकों को उनकी बेरोजगारी व परेशानी का लाभ उठाते हुए उनके साथ छल करते हुए फर्जी दस्तावेज बनाकर सुनियोजित एवं संगठित तरीके से धन वसूला गया है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो निश्चित ही व साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा और वादी मुकदमा को डरायेगा और धमकायेगा। अतः मामले के समस्त तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

07—आवेदिका/अभियुक्ता **अराधना कुमारी** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या—158/2026 धारा—318(4),338,336(3),340(2),352,351(3),61(2)ए,61(2)बी, 127(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना निचलौल, जनपद महाराजगंज में निरस्त किया जाता है।

दिनांक: 28.07.2026

(ज्ञानेन्द्र राव)
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6294
अपर सेशन न्यायाधीश
कोर्ट संख्या—02, महाराजगंज।